यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-I, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-I, ऋषिकेश के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कलवन्त सिंह एवं सतेन्द्र कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.10.2020 से 21.10.2020 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के.श्रीवास्तव व श्री बी.बी.एम. त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.05.2019 से 10.05.2019 तक श्री के.एल.भट्ट, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख मे)

वर्ष	**अर्जित राजस्व**	
	VAT	**GST**
2017-18	6.49	618
2018-19	6.71	1323.58
2019-20	5.81	1324.91

(ii) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
		लागू नहीं						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त, राज्य कर> संयुक्त आयुक्त, राज्य कर> उपायुक्त, राज्य कर> सहायक आयुक्त, राज्य कर> राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-1, ऋषिकेश** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-1, ऋषिकेश** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: -------- विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: ---------- को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 1: कर का न्यूनारोपण ₹ 11.98 लाख ।

प्रस्तर- 2: सिविल संविदाकार के मामले में कर का न्यूनारोपण ₹ 8.91 लाख ।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 1: कर जमा न होना ₹ 9.86 लाख।

प्रस्तर- 2: कर विलम्ब से जमा पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 3.06 लाख।

प्रस्तर- 3: कर का अनारोपण ₹ 0.67 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 0.67 लाख ।

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

<u>भाग-2 'अ'</u>

प्रस्तर- 1: कर का न्यूनारोपण ₹ 11.98 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(अ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है (10/2016 से 14.5%)।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-1, राज्य कर, ऋषिकेश के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि:

(A) व्यौहारी सर्वश्री ममगाई ट्रेडर्स (टिन: 05007551960), कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि व्यौहारी Tyre, Tube, Rubber strip, silicon rubber lotion की खरीद बिक्री हेतु विभाग में पंजीकृत है। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में **ट्रेड रबर** की ₹ 1593700/- की आयातित व ₹ 2412942 की प्रांतीय (कुल ₹ 4006642) खरीद की गयी थी। संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा उक्त माल को **प्रीक्योर्ड ट्रेड रबर** दर्शा कर ₹ 4028113 की बिक्री की गयी थी।

चूँकि ट्रेड रबर अवर्गीकृत वस्तु है अतः इसकी बिक्री पर कर की दर 14.5% की दर से ₹ 586076 कर आरोपणीय था जबकि कर निर्धारण आदेश में 5% की दर से कर आरोपित किया गया था। इस प्रकार ₹ 382671 के कर का न्यूनारोपण किया गया था।

(B) व्यापारी सर्वश्री आशीष ऑटो इंजीनियर्स (टिन: 05003668565), वर्ष 2016-17 के कर निर्धारण पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यौहारी का व्यापार प्रान्त के अन्दर/बाहर से बल्ब, बेल्ट, मोटर पार्ट्स की खरीद बिक्री का है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में फॉर्म-16 द्वारा ₹ 2531337/- राशि के फैन, बेल्ट, हॉर्न, मोटर पार्ट्स आदि का आयात किया था।

कर निर्धारण आदेश के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त आयातित खरीद में से फैन, बेल्ट, हॉर्न आदि की बिक्री ₹ 1993303/- पर 5% की दर से ₹ 99665 कर आरोपित किया गया था। चूँकि उक्त वस्तुएं ऑटो पार्ट्स का ही भाग थीं तथा किसी भी अनुसूची में सम्मिलित न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तु पर संगत वर्ष में 13.5% व 14.5% की दर से कर निर्धारण किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

अतः ₹ 1993303/- की बिक्री पर अंतरीय कर की दर 9.5% की दर से ₹ 189364 कर आरोपणीय था।

(C) व्यौहारी सर्वश्री क्लासिक इंटरप्राइजेज़ एण्ड हार्डवेयर एजेन्सी, गोविंद नगर (टिन: 05011495494) के वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 एवं 9(2) के के अन्तर्गत दिनाँक 30.12.2019 को किया गया था। व्यौहारी का व्यापार एल्युमिनियम सेक्सन, पीवीसी पाइप, ग्लास एवं फिटिंग्स आदि की खरीद बिक्री का है।

उपरोक्त पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग खाते के अनुसार एल्युमिनियम सेक्सन एवं फिटिंग्स का ट्रेडिंग विवरण निम्नवत था:

आरंभिक रहतिया (₹)	**खरीद (₹)**	**बिक्री (₹)**	**अंतिम रहतिया (₹)**
2193809	3679955 UA 2948284 Ex UA **(6628239)**	8109258 UA 68617 Central **(8177875)**	1707297

पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी द्वारा उक्तानुसार एल्युमिनियम सेक्सन एवं फिटिंग्स की खरीद की गयी थी। जाँच में पाया गया कि व्यौहारी के क्रय में एसएस पाइप आदि की खरीद नाममात्र की ही थी। कर निर्धारण आदेश में एल्युमिनियम सेक्सन एवं फिटिंग्स के साथ हार्डवेयर आदि की बिक्री को सम्मिलित करते हुये 5% की दर से कर निर्धारण किया गया था जबकि एल्युमिनियम सेक्सन एवं फिटिंग्स (अल्युमीनियम के फेब्रिकेशन उपरान्त डोर, विण्डो सेक्सन आदि) अवर्गीकृत वस्तु होने के कारण 13.5% व 14.5% की दर से करारोपण किया जाना था। अतः ट्रेडिंग खाते एवं कर निर्धारण आदेश अनुसार एल्युमिनियम सेक्सन एवं फिटिंग्स आदि की बिक्री ₹ 7114751 {2193809 (OB) + 6628239 (P) - 1707297 (CB)} पर 14.5% की दर से ₹ 1031639/- कर आरोपणीय था। पूर्व में ₹ 405463/- कर आरोपित किया जा चुका है, अतः अंतरीय कर ₹ 626176 आरोपणीय होगा जिस पर जमा कराये जाने की तिथि तक ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही कर आख्या प्रेषित की जायेगी।

अतः कर के न्यूनारोपण ₹ 1198210 (382671 + 189363 + 626176) के प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाते हैं।

भाग-2 'अ'

प्रस्तर- 2: सिविल संविदाकार के मामले में कर का न्यूनारोपण ₹ 8.91 लाख ।

शासनादेश संख्या: 380/2013/02(120)/XXVII(81)/2013 दिनाँक 28.03.2013 द्वारा दिनाँक 01.04.2013 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए अविभाजित सिविल संविदाकारों हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी थी। योजना से संबन्धित निर्देशों के बिन्दु 3(क) के अनुसार: ऐसे मामले जिनमें सिविल संविदाकार केंद्रीय बिक्री अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है अथवा उनके द्वारा समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करने तक अथवा उससे पूर्व अपना केंद्रीय बिक्री पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु surrender कर दिया हो, और उनके द्वारा योजना की अवधि में कोई आयात न किया गया हो, के लिए समाधान राशि की गणना आयातित धनराशि के 2% की दर से की जाएगी। बिन्दु (ग) के अनुसार जिन मामलों में सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) में वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का है एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि के 5% से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो तो समाधान राशि की गणना 6% की दर से की जायेगी।

पुनः शासनादेश संख्या: 243/2016/14(120)/XXVII(8)/06 दिनाँक 21.06.16 द्वारा दिनाँक 01.04.2016 से जीएसटी लागू होने तक की अवधि के लिए अविभाजित सिविल संविदाकारों हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी। योजना के बिन्दु (क) के अनुसार: ऐसे मामले जिनमे सिविल संविदाकार द्वारा प्रदेश के अंदर के व्यौहारियों से माल का क्रय करके संविदा कार्य में इसका अंतरण किया गया हो, के लिए समाधान राशि के गणना 2% की दर से की जायेगी। बिन्दु (ख) के अनुसार जिन मामलों में सिविल संविदाकार उपरोक्त बिन्दु (क) में वर्गीकृत संविदाकार से भिन्न वर्ग का हो एवं उसके द्वारा सम्पन्न संविदा की सकल धनराशि 5% तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो तो समाधान राशि की गणना 4% की दर से एवं बिन्दु (ग) के अनुसार यदि 5% से अधिक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, तो समाधान राशि की गणना 6% की दर से की जायेगी।

उपरोक्त दोनों शासनादेशों के बिन्दु-6 के अनुसार संविदाकार को अनुबंधवार आयातित माल के प्रयोग से संबन्धित विवरण वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किए जाने वाली वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदाकार जाँच के दौरान आयातित माल का प्रयोग अनुबन्ध के निस्तारण में किया जाना प्रमाणित नहीं कर पाता है तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाड़ा तथा अन्य खर्चों को जोड़ते हुये आई धनराशि पर 20% की वृद्धि करते हुये ऐसे माल की बिक्री निर्धारित की जायेगी तथा उस पर नियमानुसार कर आरोपित किया जाएगा। साथ-साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकेगी। बिन्दु-13 के अनुसार, धारा-7 की उपधारा (2) में सामाधान योजना हेतु विकल्प एक बार देने के पश्चात संविदाकार उसे वापस नहीं ले सकेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-1, राज्य कर, ऋषिकेश के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा में सिविल संविदाकारों के कर-निर्धारण वादों की जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री विजय बिल्डर्स, प्रगति विहार, ऋषिकेश (टिन: 05003649941) के वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-7(2) के अन्तर्गत दिनाँक 28.02.2020 को किया गया था।

उपरोक्त पत्रावली एवं कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि व्यापारी को उसके द्वारा संपादित विभिन्न अनुबन्धों के विरुद्ध संगत वर्ष में ₹ 9,41,59,482/- का भुगतान प्राप्त हुआ था। संविदाकार को प्राप्त राशि पर 2% एवं 4% की दर से ₹ 37,23,545/- समाधान राशि निर्धारित करते हुये एवं उसके द्वारा जमा टीडीएस ₹ 39,28,089/- का लाभ देते हुये ₹ 2,04,544/- के वापसी का आदेश दिया गया था।

लेखापरीक्षा में कर निर्धारण आदेश एवं संबन्धित पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि संविदाकार द्वारा संगत वर्ष में 09 फॉर्म-16 का प्रयोग कर प्रान्त के बाहर से ₹ 42,56,899/- के बिटूमेन का आयात किया था। कर निर्धारण आदेश में उक्त आयात को वर्ष 2013-14 के कार्य से संबन्धित मानते हुये एवं सम्पूर्ण संविदाओं के भुगतान के सापेक्ष प्राप्त राशि के 5% प्रतिशत से कम मानते हुये उच्च दर से करारोपण नहीं किया गया।

आगे, पत्रावली की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2013-14 में संविदाकार द्वारा अनुबन्ध संख्या 01/SE-PMGSY दिनाँक 02.05.2013 के विरुद्ध प्राप्त भुगतान ₹ 608455 पर 2% की दर से, वर्ष 2014-15 में संपादित अनुबन्धों के सापेक्ष प्राप्त धनराशि क्रमश: ₹ 24823811/- व 4976856/- के विरुद्ध 4% की दर से एवं वर्ष 2016-17 में संपादित अनुबन्ध संख्या 55/CE-URDDA/2016-17 दिनाँक 11.12.2016 जिसका संविदा मूल्य ₹ 69062281.38 है, के विरुद्ध प्राप्त राशि ₹ 4,30,37,009/- तथा इसी ही वर्ष प्राप्त अवशेष राशि ₹ 20713351 पर 2% व 4% की दर से समाधान लिया गया था।

पत्रावली की जाँच में संविदाकार द्वारा ₹ 42,56,899/- के बिटूमेन का आयात वर्ष 2013-14 के विरुद्ध दिखाया गया था जबकि वर्ष 2013-14 में संविदाकार द्वारा 2% की दर से समाधान लिया था। चूँकि संविदाकार द्वारा उक्त माल का आयात 2013-14 हेतु नियमानुसार नहीं किया जा सकता। अतः उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट था कि उक्त माल का आयात 2016-17 के अनुबन्ध के सापेक्ष किया गया क्योंकि इस अनुबन्ध में **घेघराखाल से जावरी मोटर मार्ग का निर्माण** किया जाना था और इसमें बिटूमेन का प्रयोग भी शेड्यूल ऑफ वर्क में अंकित किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि संविदाकार द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 में आयातित माल का संविदा में प्रयोग किए जाने का विवरण भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं था। इकाई से वर्ष 2013-14 व 2014-15 में समाधान विकल्प व आयातित माल का विवरण तथा उसका अनुबंधवार प्रयोग का विवरण माँगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त संगत वर्ष में संविदाकार द्वारा 2% की दर से विकल्प लिए जाने के पश्चात भी 4% की दर से करारोपण के कारणो से भी अवगत नहीं कराया गया।

अतः आयातित माल की कीमत वर्ष 2016-17 में संपादित अनुबन्ध के 5% से अधिक होने के कारण निम्न प्रकार समाधान राशि निर्धारित होगी:

Contractee	Bond No.	Pay. Taxable @ 2% (₹)	Pay. Taxable @ 4% (₹)	Pay. Taxable @ 6% (₹)
EE, PIU (PMGSY), PWD, Pokhari, Chamoli	01/SE/PMGSY dtd 02.05.13	608455	0	0
EE, World Bank Div, PWD , Pauri	19/UDRP/PWD/06-07/RD/048 dtd 25.08.14	0	24823811	0
EE, World Bank Div, PWD, Guptkashi	05/UDRP/PWD/03/RD/021 dtd 22.05.14	0	4976856	0
EE, Irrigation Div PMGSY, Jakholi	As per list of 2014-15 SE Bond No-08,57,21	0	20713351	
EE, Irrigation Div PMGSY, Jakholi	55/CE-URDDA/2016-17 dtd 11.12.16	0	0	43037009
Total		**608455**	**50514018**	**43037009**

अतः उपरोक्तानुसार समाधान राशि ₹ 608445 पर 2% की दर से ₹ 12169/-, समाधान राशि ₹ 50514018 पर 4% की दर से 2020561/- एवं राशि ₹ 43037009 पर 6% की दर से 2582221/-, इस प्रकार कुल ₹ 4614951/- कर निर्धारित किया जाना था जबकि ₹ 3723545/- कर निर्धारित किया गया था एवं ₹ 204544 का वापसी का आदेश किया गया था। अतः ₹ 891406 कर का न्यूनारोपण किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि जांचोपरांत आवश्यक कार्यवाही कर आख्या प्रेषित की जायेगी।

अतः कर के न्यूनारोपण ₹ 891406 का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाते हैं।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 1: कर जमा न होना ₹ 9.86 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 23(6) के अनुसार प्रत्येक व्यौहारी जिससे इस अधिनियम के अधीन विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा की गयी है, अपनी विवरणी के अनुसार देय कर तथा विलम्ब शुल्क, यदि कोई हो, को भी या प्रस्तुत की गयी संशोधित विवरणी के अनुसार देय भिन्नक कर की धनराशि का भुगतान, ऐसी किसी धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन देय कर की धनराशि से अधिक वसूल की गयी है, जमा करेंगे और विवरणी या जैसी भी स्थिति हो, संशोधित विवरणी के साथ ऐसी धनराशि के पूरे भुगतान को दर्शाती रसीद प्रस्तुत करेंगे।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-1, राज्य कर, ऋषिकेश के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जांच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री अरविन्द जी अतुल जी एण्ड कम्पनी, ऋषिकेश (टिन: 05003667789) के वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत दिनॉक 24.04.2019 को किया गया था।

कर निर्धारण आदेश एवं व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिटर्न्स के अवलोकन पर पाया गया कि संगत वर्ष में व्यौहारी को ₹ 20,58,209/- जमा चालान का लाभ दिया गया था। परन्तु, व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणों एवं जमा चालान की प्रतियों के अनुसार कर जमा का विवरण निम्नवत था:

2015-16	Tax Period		Amount of tax Deposited	Date	Late fee	Date	Amount as per Challan	Date
	from	to						
Qtr I	अप्रैल-15	अप्रैल-15	175312	20.05.15			175312	21.05.15
	मई-15	मई-15	0				140661	22.06.15
	जून-15	जून-15	0		370	03-08-15	169984	23.07.15
Qtr II	जुलाई-15	जुलाई-15	212949	20.08.15			0	
	अगस्त-15	अगस्त-15	140045	19.09.15			0	
	सितम्बर-15	सितम्बर-15	128931	19.10.15			128931	21.10.15
Qtr III	अक्तूबर-15	अक्तूबर-15	156055	20.11.15			156055	23.11.15
	नवम्बर-15	नवम्बर-15	169250	21.12.15			169250	23.12.15
	दिसम्बर-15	दिसम्बर-15	110847	19.01.15	70	21.01.15	2835	21.01.15
Qtr IV	जनवरी-16	जनवरी-16	2835	19.01.15	70	19.01.15	129499	22.02.16
	जनवरी-16	जनवरी-16	129499	20.02.16			0	
	फरवरी-16	फरवरी-16	306206	19.03.16			0	
	मार्च-16	मार्च-16	215635	20.04.16			0	
			1747564				**1072527**	

अतः उपरोक्त विवरण अनुसार व्यौहारी द्वारा त्रैमासिक रिटर्न्स के अनुसार ₹ 1747564/- का कर जमा किया था जबकि पत्रावली की जाँच में ₹ 1072527/- का कर चालानों के अनुसार जमा था एवं ₹ 20,58,209/- जमा चालान का लाभ दिया गया है । इस प्रकार ₹ 985682 के चालान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा जमा चालान की प्रतिया मांगे जाने पर इकाई द्वारा ₹ 20,58,209/- धनराशि के चेक जमा का विवरण व साक्ष्य प्रस्तुत किये। परन्तु, कोषागार में केवल ₹ 1072527/- धनराशि ही चालानों अनुसार जमा पायी गयी।

अतः धनराशि ₹ 9,85,682/- के कर जमा न होने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 2: कर विलम्ब से जमा पर अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 3.06 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली- 2005 के नियम-11 के अनुसार कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त 50 लाख से अधिक है, उसे उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा करना है एवं जिसका सकल आवर्त 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत यदि किसी व्योहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया गया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में:

(i) यदि विलम्ब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा (31.03.2015 से)। पूर्व में 50% यदि कर ₹ 10 हजार से अधिक हो एवं 10% यदि कर ₹ 10 हजार से कम हो (26.03.2014 से)।

(ii) यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो तो देय कर ₹ 20 हजार तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 20 प्रतिशत और यदि विलम्ब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर ₹ 20 हजार से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20 प्रतिशत एवं अधिक से अधिक 30 प्रतिशत का दायी होगा।

कार्यालय सहा० आयुक्त (क०नि०), खण्ड-1, राज्य कर, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्न व्यौहारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर विलम्ब से जमा कराया था, जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड आरोपणीय था:

व्यापारी का नाम/टिन सं.	अवधि		कर जमा करने की वास्तविक तिथि	जमा तिथि	विलम्ब		कर की राशि (₹)	अर्थदण्ड %	अर्थदण्ड (₹)
	From	To			माह	दिन			
अरविंदजी अतुलजी एण्ड कम्पनी (05003667789)	04/15	04/15	20.05.15	21.05.15		01	175312	5	8766
	05/15	05/15	20.06.15	22.06.14		02	140661	5	7033
	06/16	06/15	20.07.15	23.07.15		03	169984	5	8499
	09/15	09/15	20.10.15	21.10.15		01	128931	5	6447
	10/15	10/15	20.11.15	23.11.15		03	156055	5	7803
	11/15	11/15	20.12.15	23.12.15		03	169250	5	8463
	12/15	12/15	20.01.16	21.01.16		01	2835	5	142

	01/16	01/16	20.02.16	22.02.16		02	129499	5	6475
क्लासिक इंटरप्राइजेज़ (05011495494)	06/16	06/16	20.07.16	02.08.16		12	90000	5	4500
	08/16	08/16	20.09.16	06.10.16		16	20000	5	1000
M/S bist associates (Tin 05008758349	**07/15**	9/2015	20/10/2013	5/11/2015	0	14	14099	5%	705
	10/15	12/2015	20/1/2016	25/1/2016	0	04	65650	10%	6500
	1/16	3/2016	20/4/2016	30/6/2016	02	10	233060	20%	46612
M/S Sharma Insulator (Tin.no. 05003616864)	**4/15**	6/2015	20/7/2015	16/10/2015	02	25	87929	20%	17586
	1/16	3/2016	20/4/2016	12/5/2016	00	21	145727	10%	14572
M/S Kuldip kumar (05003767990)	**415**	6/2015	20/7/2016	23/7/2015	00	03	23510	10%	23510
	7/15	9/2015	20/10/2015	9/11/2015	00	18	17660	5%	883
	10/15	10/2015	20/1/2016	27/1/2016	00	06	29258	10%	2926
नवीन ट्रेडर्स (05013682457)	04/16	06/16	20.07.16	24.03.17	08	04	18820	10	1882
	07/16	09/16	20.10.16	24.03.17	05	04	73500	20	14700
	10/16	12/16	20.01.17	24.03.17	02	04	42880	20	8576
पँवार मार्बल एंड सेनेट्री स्टोर(05005863287)	04/16	06/16	20.07.16	27.10.16	03	07	47880	20	9576
	07/16	09/16	20.10.16	17.12.16	01	27	143770	20	28754
	10/16	12/16	20.01.17	25.04.17	03	05	137880	20	27576
पँवार टाइल्स (05010870621)	04/16	06/16	20.07.16	27.10.16	03	07	67190	20	13438
	07/16	09/16	20.10.16	13.12.16	01	23	72080	20	14416
	10/16	12/16	20.01.17	07.02.17		17	10870	5	543
	01/16	03/16	20.04.16	31.05.17	01	11	69510	20	13902
Total									**305785**

अतः उपरोक्तानुसार विलम्ब से कर जमा कराये जाने पर ₹ 305785.00 का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि अधिरोपित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि आवश्यक कार्यवाही कर आख्या प्रेषित की जायेगी।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-3 : कर का अनारोपण ₹ 0.67 लाख एवं अर्थदण्ड ₹ 0.67 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(अ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है।

अधिनियम की धारा-58(1) (V) के अनुसार आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने पर अर्थदण्ड ₹ दस हजार या अंतर्ग्रस्त कर की धनराशि जो भी अधिक हो, आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क॰नि॰), खण्ड-1, राज्य कर, ऋषिकेश के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जांच में पाया गया कि:

(A) व्यौहारी सर्वश्री अरविन्द जी अतुल जी एण्ड कम्पनी, ऋषिकेश (टिन: 05003667789) के वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत दिनाँक 24.04.2019 को किया गया था।

व्यौहारी के पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में आयातित ₹ 14109264 की Tiles व sanitary goods खरीद की गयी थी जबकि ट्रेडिंग खाते एवं कर निर्धारण आदेश में ₹ 13984926/- की खरीद ही दर्शाई गयी थी। इस प्रकार ₹ 124338 के कम प्रदर्शित माल के विक्रय पर 13.5% की दर से ₹ 16786/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था एवं अर्थदण्ड ₹ 16786 पृथक से देय होगा।

(B) व्यौहारी सर्वश्री माहेश्वरी ऑक्सीज़न प्रा॰ लि॰ (टिन: 05003554881) के वर्ष 2015-16 का कर निर्धारण अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत दिनाँक 26.04.2019 को किया गया था।

व्यौहारी के कर निर्धारण आदेश एवं पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 6362579 की खरीद की गयी थी जबकि ट्रेडिंग खाते एवं कर निर्धारण आदेश में ₹ 5349860/- की खरीद ही दर्शाई गयी थी। इस प्रकार ₹ 1012719 के कम प्रदर्शित माल के विक्रय पर 5% की दर से ₹ 50636/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था एवं अर्थदण्ड ₹ ₹ 50636/ पृथक से देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि कम प्रदर्शित आयातित माल के सम्बंध में व्यापारी को नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही उपरान्त अवगत कराया जायेगा।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-01/2014-15	-	01,02,03	-
CT-17/2016-17	-	01,02,03,04,05	-
CT-02 /2019-20	01	01,02	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) राज्य कर, खण्ड-1, ऋषिकेश** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
3. टिप्पणी- शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री अंजनी कुमार सिंह,	सहायक आयुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV